रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 214] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 1987/वैशाख 8, 1909
No. 214] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 1987/VAISAKHA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1987

शुद्धिपत्र

सा. का. नि. 417 (अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 8 अप्रैल, 1987 के अधीन प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 165/87-

उपशीर्ष सं. 5501.90 के अंतर्गत आने वाले पालिप्रोपलीन स्टेपल फाइबर और सूक्ष्मतन्तु तथा तन्तु गुच्छों को, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितनें सात रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

[फा. सं. 357/5/87-टी आर यू]

सी.पी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 1st May, 1987

NOTIFICATION

NO. 132|87-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 447(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts polypropylene staple fibre and tow and tops, falling under sub-heading No. 5501.90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) from so much of the duty of excise leviable thereon which is specified in the said Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of rupees seven per kilogram.

[F. No. 357|5|87-TRU]

C. P. SRIVASTAVA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987